राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 653/2024

शंकर लाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कृषि एवं पंचायती राज विभाग (कृषि) ग्रुप–I, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुकेश चौधरी, कृषि अधिकारी (उद्यानिकी), कार्यालय उप निदेशक, उद्यानिकी, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि अधिकारी (उद्यान) के पद पर कार्यालय उप निदेशक, उद्यान, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय उप निदेशक, उद्यान चुरू में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान स्थान पर पदस्थापन के एक वर्ष में ही किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका आगे तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समुचित करने के दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि केवलमात्र इस आधार पर कि

अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो। हम यह भी नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी का अल्प समय में स्थानांतरण किया गया हो।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)